

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 353] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1981/कार्तिक 11, 1903
No. 353] NEW DELHI, MONDAY, OCT. 2, 1981/KARTIKA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1981

सा. का. नि. 573 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकाहित में आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले और तेल और गैस के विदोहन और प्रवाह को मॉनिटर करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (टिटन परियोजना) द्वारा कम्प्यूटर और दूर-संचार परियोजना के अगतत संस्थापनों को प्रदाय किए जाने वाले सभी माल को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

परन्तु उक्त माल की निकासी से पूर्व तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से इस प्रभाव का कि माल उसके अपतट संस्थापनों के लिए आशयित है, इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र समुचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी ।

[सं. 178/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/का.सं. 71/33/81-सी.एक्स.-2]

डी. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1981

G.S.R. 573(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of the rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods, falling under the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), for supply to off-shore installations of Computer and Telecommunication Project for monitoring exploitation and flow of crude and gas by the Oil and Natural Gas Commission (Project Titan), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that before clearance of the said goods a certificate from the Oil and Natural Gas Commission to the effect that the goods are intended for its off-shore installations, duly countersigned by the Department of Electronics, shall be produced to the proper Officer,

2. This notification shall remain in force for one year from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 178/81-Central Excises/F. No. 71/33/81-CX. 2]

D. MEHTA, Under Secy.